

## केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 695

09 07 2024

विषय: 15 695: 2020 (एसिटिक एसिड - विशिष्टि) में संशोधन संख्या 3 ।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 695: 2020 में संशोधन संख्या 3 प्रकाशित हो चुकी है । IS 695: 2020 में संशोधन संख्या 3 के अनुपालन की अंतिम तिथि **24 December 2024** है । सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 695: 2020 में संशोधन संख्या 3 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें।

(इंद्रजीत सिंह) वैज्ञानिक- डी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2) सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

## **CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2**

Our Ref: CMD-2/16: 695 09 07 2024

Subject: Amendment No. 3 Indian Standard 695: 2020 (Acetic Acid- Specification)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 3 to IS 695: 2020 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 3 to IS 695: 2020 is **24 December 2024**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment.

(Inderjeet Singh) Scientist D (CMD-2)

**Head (CMD - 2)** 

Circulated to: All licensees/applicants

**Copy to: BIS Branch Offices**